दिनांक:13.05.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशांदेही पर मृतक का 01 मोबाइल फोन मय सिम व घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 ईंट बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 24.04.2026 को वादी उ0नि0 शिव कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर ने ग्राम कैलाशपुर में कब्रिस्तान वाले रास्ते पर खेत में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अज्ञात व्यक्ति के सिर मे चोट मारकर हत्या कर देने के सम्बन्ध मे थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0सं0 131/2026 धारा 103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर दिनांक 07.05.2026 को मुकदमा उपरोक्त में मृतक अज्ञात पुरूष का नाम ***दादा उर्फ सुलतान*** *पुत्र व पता अज्ञात ज्ञात हुआ तथा विवेचना में अभियुक्त अब्दुल्ला पुत्र स्व0 शकील निवासी ग्राम रसूलपुर पापडेकी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर का नाम प्रकाश मे आया था।*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का सज्ञान लेकर वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतू दिशा-निर्देश दिये गये, इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशन नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा दिनांक 12.05.2026 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त ***अब्दुल्ला पुत्र स्व0 शकील निवासी ग्राम रसूलपुर पापडेकी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर*** *को ग्राम छपरेडी से ढाल्ला माजरा की तरफ को जाने वाले रास्ते पर निर्माणाधीन टंकी के बने कमरे के बरामदे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं तथा मृतक दादा उर्फ सुल्तान दोनों दिनांक 09.04.2026 को कैलाशपुर आये थे तथा कैलाशपुर के पास बाग में बैठकर नशा कर रहे थे जब ज्यादा नशा हुआ तो दादा उर्फ सुल्तान ने कहा कि तेरी पत्नी बहुत सुन्दर है एक बार मेरे सम्बन्ध बनवा दे इस बात पर मुझे गुस्सा आ गया तब मैने यह तय किया कि इसे रास्ते से हटा दूँ तब मैं कैलाशपुर में जाकर और नशे का सामान लेकर आया तथा दादा उर्फ सुल्तान को और नशा कराया मैने दादा के सर में ईट मार दी तथा हम दोनो में गुथम-गुथ्था हुयी जिसमे दादा उर्फ सुल्तान की टी शर्ट भी निकल गयी थी तथा दादा भागने लगा था तब मैने आगे जाकर उसके सर में पीछे से एक बार फिर जोर से ईट मारी जिससे दादा उर्फ सुल्तान वही पर गिर गया तथा मैं दादा उर्फ सुल्तान का मोबाईल फोन लेकर वहां से चला गया था आज मै यहां पर छिपकर नशा कर रहा था कि आपने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अब्दुल्ला पुत्र स्व0 शकील निवासी ग्राम रसूलपुर पापडेकी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण -

- *घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल 01 ईंट बरामद*
- *01 मोबाइल फोन मय सिम (मृतक का)*

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-</u>

1. *थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर ।*
2. *उ0नि0 सुभाषचन्द्र थाना गागलहेडी सहारनपुर ।*
3. *उ0नि0 शिव कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर ।*
4. *का0 1345 सुशान्त कपिल थाना गागलहेडी सहारनपुर ।*
5. *का0 398 नरदेव कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर ।*
6. *का0 1755 अनुज कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर ।*

-प्रेस नोट-

दिनांक:13.05.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13.05.2026 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त ***विक्की उर्फ मोहित पुत्र राजकुमार नि. मौ0 भीष्मनगर पुराना चिलकाना अड्डा थाना मण्डी सहारनपुर*** *(सम्बन्धित वाद संख्या – 6519/26 मु0अ0सं0 148/12 धारा 4/25 आर्मस एक्ट न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय सहारनपुर) को चिलकाना अड्डे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

विक्की उर्फ मोहित पुत्र राजकुमार निवासी मौ0 भीष्मनगर पुराना चिलकाना अड्डा थाना मण्डी सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. *उ0नि0 श्री जगपाल सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।*
2. *है0का0 345 फारुख अली थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।*
3. *रि0का0 1197 सुमित गंगवार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।*

दिनांक:13.05.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा 01 शातिर शराब तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल अवैध देशी शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब व इसके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा दिनांक 12.05.2026 को अभियुक्त ***साजिद पुत्र जरीफ निवासी ग्राम सहसपुर जट्ट थाना नकुड जनपद सहारनपुर*** *को अध्याना रोड पर ग्राम शुक्रताल रोड की तरफ से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 12 बोतल अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई । बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 270/2026 धारा 63 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

साजिद पुत्र जरीफ निवासी ग्राम सहसपुर जट्ट थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरण –

- *12 बोतल अवैध देशी शराब (हरियाणा मार्का)*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *थानाध्यक्ष सुरेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।*
2. *उ0नि0 प्रमोद कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।*
3. *कां0 1059 अनुज राणा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।*
4. *रि0 कां0 1676 सागर कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।*

दिनांक:13.05.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी 1400/- रूपये बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 13.05.2026 को वादी श्री अनीस पुत्र रफीक निवासी मौ0 बड़ा कुआ कस्बा अम्बेहटापीर थाना नकुड़ सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त द्वारा वादी की प्रचून का खोखा से चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0स0 272/2026 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी, लूट, डकैती, छिनैती, नकबजनी आदि घटनाओं की रोकथाम एवं इनमे संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13.05.2026 को पुलिस पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त ***शाहनवाज पुत्र खालिद निवासी मौ0 गुहा कस्बा अम्बेहटापीर थाना नकुड़ सहारनपुर*** *को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से वादी की प्रचून के खोखे से चोरी हुए 1400/- रुपये बरामद हुए। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

शाहनवाज पुत्र खालिद नि0 मौ0 गुहा कस्बा अम्बेहटापीर थाना नकुड़ सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:

- *1400/- रुपये नगद*

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. *मु0अ0सं0 467/19 धारा 379/411 भादवि थाना नकुड सहारनपुर।*
2. *मु0अ0स0 70/24 धारा 63 आब0 अधि0 थाना नकुड सहारनपुर।*
3. *मु0अ0सं0 435/12 धारा 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि0 थाना नकुड सहारनपुर।*
4. *मु0अ0स0 193/2013 धारा 363/366 भादवि थाना बेहट सहारनपुर।*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *थानध्यक्ष श्री सुरेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 श्री रणवीर शर्मा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।*
3. *का0 2023 विराट चौधरी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।*

दिनांक:13.05.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

अवगत कराना है कि दिनांक 09.05.2026 को वादी द्वारा अपने ही गाँव में राज सिंह से करीब 15 वर्ष पूर्व खरीदी थी। जिस पर वह लगातार काबिज चला आ रहा था तथा अपना घेर बनाया हुआ था। यह जमीन वर्तमान में कीमती तथा आबादी में होने के कारण गांव के रामचन्द्र आदि लोगो के मन में लालच आ गया और विपक्षी नरेश जिसके पिता रामसिंह का नाम चकबंदी इत्यादि से पृथक घाटा होने के कारण वसीयतनामा के आधार पर रामसिंह इत्यादि का नाम अंकित चला आ रहा है वर्तमान में इस विवादित स्थल पर आबादी बनी है जिसको लेकर रविन्द्र सिंह एंव नरेश पुत्र रामसिंह आदि में विवाद है । रविन्द्र सिहं पुत्र रमेश निवासी लालवाला का आबादी बनाकर कब्जा चला आ रहा है ।इसी का फायदा उठाकर रामचंद्र आदि ने नरेश को उकसाकर जमीन पर जातिगत रंग देकर कब्जा करने का प्रयास करना शुरु कर दिया। इसमें रामचन्द्र के साथ गाँव के शेर सिंह उर्फ शेरा पुत्र कबूला जो थाना देवबंद का हिस्ट्रीशीटर है जिसने दो साल पहले दीपावली के दिन वादी रविन्द्र के लडके के सीने पर तमन्चा रखकर गोली चलाई थी लेकिन फायर मिस होने के कारण वह बच गया था। तभी से वह रविन्द्र पक्ष से रंजिश रखता है। रामचंद्र ने गाँव लालवाला के ही सुमित पुत्र कवंर सिंह, आशीष पुत्र सतेन्द्र के साथ पिछले कुछ महिने से सुनियोजित षड्यन्त्र रचकर तथा नरेश को लालच देकर वादी पर मामले को जातिय रुप देकर लगातार दबाव बनाना शुरु कर दिया और इन लोगो ने रविदास जयन्ती पर वादी रविन्द्र के घर के सामने संत रविदास, डाक्टर भीमराव अम्बेडकर आदि का संयुक्त बोर्ड लगा दिया और महौल इस तरह रचा गया कि इस जमीन को कब्जाने के लिये इस पूरे मामले में जातीय रंग देकर जमीन को हडप लिया जाये। इसी के क्रम में दिनांक 09.05.26 को महाराणा प्रताप की जयन्ती के अवसर का फायदा उठाकर दिनांक 05.05.2026 को रामचंद्र के द्वारा उचित अवसर तलाश कर गांव के अपने समाज के लोगो को यह कहकर लाउडस्पीकर से एंनाउस किया की रविन्द्र जमीन को जोत रहा है सभी पांच मिनट में मंदिर पर आ जाओ और लोगो के भडकाया। इस सूचना पर डायल 112 व स्थानीय पुलिस के पहुँचने पर इकठ्ठा हुए लोगो को समझाने पर अपने- अपने घर चले गये थे। दिनांक 07.05.2026 को भी रामचन्द्र द्वारा इसी तहर का प्रयास किया गया तथा दिनांक 08.05.2026 को दिन में करीब 10.30 बजे अफवाह फैलाकर कि रविनद्र द्वारा इस जमीन पर महाराणा प्रताप मूर्ति स्थापित की जा रही है , जल्दी पुहँचो आज इसका इलाज आदि कर देनेका एनाउंस कर गाँव के इस पूरे षड्यन्त्र में शामिल शेर सिंह उर्फ शेरा पुत्र कबूला व अन्य साथियों को सामूहिक रुप से शामिल कर गांव के अपने समाज के लोगो को मंदिर पर इकठ्ठा कर के उकसाते हुए रविन्द्र के घर पर पहुँचकर हंगामा किया जिस पर स्थानीय पुलिस मौके पर आ गयी तथा सारी घटना झूठी पायी गयी तथा रामचंद्र आदि व उनके समाज के लोगो के उक्त कृत्य को देखकर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। दिनांक 09.05.2026 को रामचन्द्र द्वारा अपने साथी शेर सिंह उर्फ शेरा पुत्र कबूला आदि 40-50 महिला व पुरुष इकठ्ठा होकर ट्रेक्टर सहित वादी के घर पर घुसकर ईट, पत्थर लाठी, डन्डे, सरिया व दाव आदि से लैस होकर हमला व पथराव किया गया तथा महिलाओं को आगे कर कब्जा करने का प्रयास किया गया व सुरक्षा मे लगे पुलिसकर्मियो के ऊपर पथराव व ट्रैक्टर चढाने का प्रयास किया गया । पुलिस बल द्वारा उपद्रवियों को खदेड़ते हुए गिरफ्तारी का प्रयास किया गया तो मौके से फरार हो गये जिसके संबंध में वादी रविन्द्र राणा पुत्र रमेश राणा निवासी ग्राम लालवाला थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 329/26 धारा 191(2)/109(1)/115(2)/352/351(3)/333/324(2)/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया है। विवेचना प्रचलित है । संबंधित विवादित जमीन के संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित कमेटी के द्वारा की गयी जाँच से

“ग्राम चकरामबाड़ी (लालवाला) परगना व तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर के जो०चक०आ०पत्र-41 के गाटा संख्या 4267 रकबा 0-15-0 पुख्ता जिसका जो०चक०आ०पत्र-2ए में पुराना गाटा 2344/2 रकबई 0-15-0 पुख्ता पर कब्जे को लेकर दो पक्षों नरेश पुत्र राम सिंह आदि व रविन्द्र आदि के मध्य विवाद है।
जो०चक०आ०प०-45 के खाता संख्या 113 में निहाली पत्नी नकली, हरदेवा, रामसिंह, रामलाल पुत्रगण नकली निवासी लालवाला के नाम अंकित है। वर्तमान में स्थल पर 2344/2 रकबई 0-15-0 पुख्ता में आबादी बनी है, जिस पर रविन्द्र सिंह का कई वर्षों से कब्जा है, तथा इस भूमि पर इनके द्वारा निर्माण कार्य भी किया गया जाना अंकित किया गया है”, रामचन्द्र आदि ने नरेश पुत्र राम सिहं व उसके पक्ष के व्यक्तियों द्वारा बिना किसी विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए विवादित भूमि पर बलपूर्वक पर कब्जा करने का प्रयास किया जाना तथा पुलिस की सक्रियता से उक्त हिंसात्मक षड़यंत्र को नियंत्रित किया जाना पाया गया है। मौके पर पर्याप्त पुलिस व पीएसी बल की सतत निगरानी में कानून व्यवस्था कायम है तथा क्षेत्र में पूर्ण रुप से शांति व्यवस्था बनी हुई है फिर भी पूर्ण सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरन सीसीटीवी फुटेज , विभिन्न वीडियो व आडियो तथा विभिन्न सीडीआर का अवलोकन एंव गवाहो के बयानों से प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों की पुष्ठी हो रही है। थाना देवबंद पुलिस द्वारा निमन्लिखित शेर सिंह व अक्षय आज दिनांक 13.05.2026 को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायाल के समक्ष पेश किया जा रहा है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-</u>

1. शेर सिंह उर्फ शेरू पुत्र कबूला उर्फ कबूल सिंह निवासी ग्राम लालवाला थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. अक्षय पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम लालवाला थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

<u>गिरफ्तार अभियुक्त शेर सिंह का आपराधिक इतिहास- (एच.एस)</u>

1. मु0अ0सं0 0091/2026 धारा 352 बी0एन0एस0 थाना देवबन्द
2. मु0अ0सं0 0609/2024 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 109(1)/352 बी0एन0एस0 थाना देवबन्द
3. मु0अ0सं0 0443/2016 धारा 323/324/452/504 भा0द0वि0 थाना देवबन्द
4. मु0अ0सं0 321/2016 धारा 60 आब0 अधि0 थाना देवबन्द
5. मु0अ0सं0 0719/2013 धारा 60/62 आब0 अधि0 व 420 भा0द0वि0 थाना देवबन्द
6. मु0अ0सं0 0204/2011 धारा 60/62 आब0 अधि0 व 272/273 भा0द0वि0 थाना देवबन्द
7. मु0अ0सं0 0635/2009 धारा 60 आब0अधि0 थाना देवबन्द
8. मु0अ0सं0 0232/2005 धारा 60 आब0अधि0 थाना देवबन्द
9. मु0अ0सं0 0060/2004 धारा 60 आब0अधि0 थाना देवबन्द

दिनांकः 13.05.2026

-प्रेस नोट-

ऑपरेशन सवेरा

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

□ सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध कडी कार्यवाही □

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 217 ग्राम अवैध चरस बरामद

*अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा"** – **"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।*

*अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 12.05.2026 को थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर अभियुक्त **इमरान पुत्र फरजन उर्फ जिन्दा हसन निवासी ग्राम असगरपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को खुशहालपुर से जाने वाले रास्त पर गैस एजेन्सी से करीब 50 कदम की दूरी से पहले आम के बाग में बांयी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 217 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 130/2026 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/ पताः-

इमरान पुत्र फरजन उर्फ जिन्दा हसन निवासी ग्राम असगरपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- *217 ग्राम अवैध चरस*

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 200/21 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरणः-

1. *उ0नि0 श्री मुकेश सोलंकी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 नरेन्द्र सागर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।*
3. *हे0का0 202 पदम सिह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।*
4. *हे0का0 739 ललित तोमर थाना मिर्जापुर सहारनपुर।*

दिनांक:13.05.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13.05.2026 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा एक वारंटी/अभियुक्त ***सुरेन्द्र पुत्र बलजीत निवासी रोहित विहार हसनपुर रजवाहा की पटरी निकट धारिया बिल्डर्स थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर*** *(सम्बन्धित वाद स0 16528/23 धारा 323,494 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर) को मसकन से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार वारण्टी का नाम व पताः–

सुरेन्द्र पुत्र बलजीत निवासी रोहित विहार हसनपुर रजवाहा की पटरी निकट धारिया बिल्डर्स थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

मु0अ0स0 04/2024 धारा 323.504.498ए भादवि व ¾ देहज अधिनियम थाना महिला थाना सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः–

1. *उ0नि0 अमरीश कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।*
2. *का0 77 अरूण कुमार सदर बाजार जनपद सहारनपुर*
3. *का0 2384 कपिल देव सदर बाजार जनपद सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांक:13.05.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 13.05.2026 को वादी की लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्त वाजिद पुत्र राशिद निवासी मौ0 हजारा कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर के द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ छेडखानी कर अश्लील हरकते करने के सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 156/2026 धारा 74,75 बीएनएस व 9m/10 पोक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये, इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट परिवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष सरसावा श्री प्रवेश कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 13.05.2026 को थाना सरसावा पुलिस पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित 01 अभियुक्त ***वाजिद पुत्र राशिद निवासी मौ0 हजारा कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर*** *को कस्बा सरसावा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

वाजिद पुत्र राशिद निवासी मौ0 हजारा कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. *थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार शर्मा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 श्री सौरभ यादव थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।*
3. *है0का0 532 ऋषिपाल थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।*
4. *का0 2466 रोहित कुमार थाना सरसावा जिला सहारनपुर।*

-प्रेस नोट-

दिनांकः **13.05.2026**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला-फुलसलाकर भगा ले जाने के अभियोग में 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 28.04.2026 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बंध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 211/26 धारा137(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी एवं अपहृता की सुकशल बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा दिनांक 12.05.2026 को अपहृता को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया तथा आज 13.05.2026 को चेंकिंग के दौरान पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त **छोटू छैला उर्फ छोटू कुमार पुत्र हरेराम यादव निवासी लाभगाँव थाना गंगोर जनपद खगरीया बिहार** को लकडी के पुल के पास खलासी लाइन पर से गिरफ्तार किया गया। विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 87/64(2)m बीएनएस व 5L/6 पॉक्सो एक्ट अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यावाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

छोटू छैला उर्फ छोटू कुमार पुत्र हरेराम यादव निवासी लाभगाँव थाना गंगोर जनपद खगरीया बिहार।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम

1. प्रभारी निरीक्षक कपिल देव थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. उ0नि0 अमित कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. का0 2064 रूचिन थाना सदर बाजार सहारनपुर।
4. रि0का0 1989 सोनू कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।

दिनांक: 13.05.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तगण किये गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री प्रमोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13.05.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्तगण **1. अमन पुत्र प्रवीण निवासी केशवनगर नुमाइश कैम्प थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 79/21 व मु0अ0स0 154/21 धारा 376/328/386/504 भादवि व ¾ पोक्सो अधिनियम **2. मेहताव पुत्र जिन्दा निवासी नबाबगज थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 1642/24 मु0अ0स0 456/19 धारा 188/342/147 भादवि में अभियुक्तों के घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. अमन पुत्र प्रवीण निवासी केशवनगर नुमाइश कैम्प थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
2. मेहताव पुत्र जिन्दा निवासी नबाबगज थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री जोग्रेदपाल सिंह थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
2. है0का0 1258 विकास कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
3. रि0का0 1279 अनमोल थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।

दिनांक. 13.05.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर ,सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तो का शान्ति भंग मे किया चालान

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराधो की रोकथाम हेतु जनपद में शांति व्यवस्था भंग करने में आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मे दिये गये आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री प्रमोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13.05.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्तगण **1.जाहिद पुत्र सज्जाद 2. साजिद पुत्र सज्जाद निवासीगण घोसियो वाली गली खान आलमपुरा थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर** को जोगियान पुल के पास सड़क पर आमदा-फसाद करते हुये गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. जाहिद पुत्र सज्जाद निवासी घोसियो वाली गली खान आलमपुरा थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
2. साजिद पुत्र सज्जाद निवासी घोसियो वाली गली खान आलमपुरा थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. म0उ0नि0 अंजू सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
2. का0 143 अरूण कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
3. रि0का0 1329 विजय बहादुर थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
4. रि0का0 332 विपिन कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।

दिनांक - 13.05.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा अपहरण कर हत्या के प्रयास में 03 वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 डण्डा, 01 हथौड़ी व थार गाडी रजि0नं0- UP12BP9309 बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 01.05.2026 को वादी श्री रहमान पुत्र शमशाद निवासी मौहल्ला महल कस्बा व थाना रामपुर मनिहारन की तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण 1. सोनू उर्फ इंतजार पुत्र इकबाल 2. अदनान पुत्र इकबाल कुरैसी 3. साहिल पुत्र शाहिद 4.साउन पुत्र सराफत निवासीगण मौहल्ला पीपलतला कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर द्वारा वादी को अपहरण कर हथौडे व डण्डे से मारपीट कर घायल कर देने के सम्बन्ध में थाना रामपुर मनिहारन पर मु0अ0स0 147/26 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/140(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम हेतु हत्या, लूट डकैती एवं नकबजनी आदि जैसी घटनाओं में वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारन श्री उम्मेद कुमार के कुशल नेतृत्व मे थाना रामपुर मनिहारन पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1.सोनू उर्फ इंतजार पुत्र इकबाल 2. अदनान पुत्र इकबाल कुरैसी 3. साहिल पुत्र शाहिद निवासीगण मौहल्ला पीपलतला कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर को टिपरा रोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे सें घटना में प्रयुक्त थार गाडी, डंडा व हथौडी बरामद की गई। अभियुक्तों के विरूध्द अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. सोनू उर्फ इंतजार पुत्र इकबाल निवासी मौहल्ला पीपलतला कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
2. अदनान पुत्र इकबाल कुरैसी निवासी मौहल्ला पीपलतला कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
3. साहिल पुत्र शाहिद निवासी मौहल्ला पीपलतला कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

घटना में प्रयुक्त बरामदगी का विवरणः –

- 01 डण्डा
- 01 हथौडी
- गाडी थार रजि0 UP12BP9309

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री ललित कुमार थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर
2. है0का0 570 योगेन्द्र थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर
3. है0का0 1345 विक्रांत सिरोहा थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर
4. रि0आ0 1865 हिमांशु थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर।

दिनांकः13.05.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर की साइबर हैल्प डैस्क टीम द्वारा साइबर ठगी के 2,53,990/- रूपये पीडित के खाते मे वापस कराये गये।

अवगत कराना है कि पीडित रजाउल्लाह पुत्र अब्दुल हसन निवासी सोनबरसा सीतमढी बिहार हाल पता शारदा नगर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर के खाते से अज्ञात द्वारा को विदेश में नौकरी दिलाने को लेकर 2,53,990 रूपये निकाल लिये थे। जिसके सम्बन्ध में पीडित द्वारा 1930 पर सम्पर्क कर शिकायत संख्या- 23104260082036 दर्ज करायी थी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ,सहारनपुर के निर्देशन मे साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर ठगी मे आनलाइन धोखाधड़ी कर ठगे गये रूपयो की वापसी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में थाना सदर बाजार साइबर हैल्प डैस्क टीम द्वारा पीड़ित रजाउल्लाह पुत्र अब्दुल हसन निवासी सोनबरसा सीतमढी बिहार हाल पता शारदा नगर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर के खाते से विदेश में नौकरी दिलाने को लेकर ठगी गयी धनराशि- 2,53,990/- रूपये को 100% पीडित के खाते में वापस करायी गयी । धनराशि वापस आने पर पीडित द्वारा थाना सदर बाजार पुलिस का आभार व्यक्त किया गया।

खाते में वापस करायी गयी धनराशि –

- 2,53,990/- रुपये (100% वापस)

धनराशि वापस कराने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
2. अतिरिक्त निरीक्षक बीरबल सिह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
3. कम्प्यूटर ऑपरेटर गौरव मठान थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
4. म0है0का01133 अनवेष थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

दिनांक:13.05.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा लापरवाही से वाहन चलाकर स्टंटबाजी करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन चैकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी प्रथम नगर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व मे पुलिस टीम द्वारा गश्त चैकिंग के दौरान स्विफ्ट कार रजिस्ट्रेशन न0- UK 07 DZ 1115 से स्टंटबाजी करने वाले 01 अभियुक्त **अलबक्श पुत्र तनवीर अहमद नि0 आजाद कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर** को कमेला रोड पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली मण्डी पर **मु0अ0सं0 150/26 धारा 281 बीएनएस व धारा 207 एमवी एक्ट** पंजीकृत किया गया व उपरोक्त गाड़ी स्विफ्ट कार को सीज किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

अलबक्श पुत्र तनवीर अहमद नि0 आजाद कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 श्री प्रतापदत्त शर्मा थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।
2. है0का0 672 प्रदीप कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।
3. है0का0 1269 धीरज मावी थाना मण्डी सहारनपुर।